(वाद सं0– 3132/4/39/2021)

28.06.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, इमामुन निशा, के पुत्र को गलत रूप से सचिवालय थाना कांड संख्या–34/10 में फँसाने तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा उसे उक्त केस में दोष मुक्त किये जाने के कारण परिवादी को 25,00,000/– (पच्चीस लाख) रूपये का मुआवजा दिये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की माँग की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित सहायक पुलिस अधीक्षक, सचिवालय, पटना के प्रतिवेदनानुसार ‘‘प्रसंगाधीन कांड उपसचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मो0 मोईन (परिवादी का पुत्र) के विरूद्ध संस्थित किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधानोंपरांत आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है। परिवादी के परिवाद–पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाद में परिवादी को अपीलीय न्यायालय (माननीय पटना उच्च न्यायालय) से दोष–मुक्त करते समय माननीय न्यायालय द्वारा परिवादी को मुआवजा दिये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

जब किसी आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष–मुक्त किया जाता है तो दोष–मुक्ति आदेश के समय मिथ्या अभियुक्तिकरण के संबंध में मुआवजा के संबंध में आदेश पारित किया जाता है तथा उक्त आदेश के आलोक में मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के मिथ्या अभियुक्तिकरण के संबंध में मुआवजा दिये जाने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया

था तो ऐसी स्थिति में राज्य आयोग के स्तर से इस संबंध में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रसंगाधीन मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 08–07/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक